संख्या 13/27/91-का-1-2000

प्रेषक,

श्री प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में;

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उ0 प्र0।

लखनऊ दिनांक : 06 सितम्बर, 2000

विषय :--आपराधिक अभियोजन एवं विभागीय जांच साथ-साथ करने के सम्बन्ध में।

महोदय;

कार्मिक अनुभाग-1

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या 12/7/1965/नियुक्ति (ख); दिनांक 23 दिसम्बर, 65 शासनादेश संख्या 12/7/1965-नियुक्ति (ख), दिनांक 21 अप्रैल, 69 शासनादेश संख्या 2693/का-1-80; दिनांक 18 फरवरी, 81 एवं शासनादेश संख्या 13/27/91-का-1-1991; दिनांक 10 दिसम्बर, 91 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है; जिसमें यह व्यवस्था विद्यमान है कि कोई मामला जांच/अनुसंधान के लिए सतर्कता विभाग/अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपा जाए, तो अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। यदि वह पहले आरम्भ हो चुकी हो तो उसे तब तक के लिए रोक देना चाहिए, जब तक कि दण्ड देने वाले अधिकारी को सतर्कता/अपराध अनुसंधान विभाग का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त न हो गया हो।

2--उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कैप्टन एम0 पाल एन्थोनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लि0; 1999 (3) सुप्रीम 376 में दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त व्यवस्था पर पुनर्विचार कर उपर्युक्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि—

(1) विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले की कार्यवाही साथ-साथ की जा सकती है। यह कार्यवाहियां पृथक-पृथक एवं साथ-साथ करने में कोई बाधा नहीं है।

(2) यदि विभागीय एवं आपराधिक मामले की कार्यवाहियां समान एवं समरूपी तथ्यों एवं आरोप पर आधारित हों तथा आपराधिक आरोप गम्भीर प्रकृति का हो, जिसमें तथ्यों एवं कानून का विशिष्ट प्रश्न अन्तर्गस्त हो तो आपराधिक मामले के निर्णय तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने के बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त विनिश्चय करके यथोचित आदेश किया जाएगा।

(3) आपराधिक आरोप गम्भीर प्रकृति का है या नही ?, तथ्य एवं कानून का विशिष्ट प्रश्न अन्तर्गस्त है अथवा नहीं ?, का विनिश्चय अपराध की प्रकृति, कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित मामले की प्रकृति, अन्वेषण के दौरान उसके विरुद्ध एकत्रित साक्ष्य सामग्री एवं अन्य सामग्री, जैसा कि आरोप-पत्र में अभिलिखित है, पर विचार करके किया जाएगा।

(4) विभागीय कार्यवाही के स्थगन पर विचार के लिए उपर्युक्त क्रम संख्या 2 एवं 3 पर वर्णित बातों पर एकाकीपन (आइसोलेशन) में विचार नहीं किया जाएगा, अपितु विभागीय कार्यवाही को अनावश्यक विलम्बित न किए जाने के तथ्य पर भी सम्यक् विचार किया जाएगा।

(5) यदि आपराधिक मामले में प्रगति नही होती अथवा इसके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है, तब विभागीय कार्यवाही को, भले ही उसे आपराधिक मामला लम्बित होने के कारण स्थगित किया गया हो, पुनः आरम्भ करके कार्यवाही की जा सकती है।

2--अनुरोध है कि भविष्य में शासन के उपरोक्त निर्णयों का भली-भांति अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
प्रदीप शुक्ला,
सचिव।

संख्या 13/27/91-का-1-2000- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--सचिव, राज्यपाल, उ0 प्र0 ।
2--सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ0 प्र0 ।
3--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4--सचिव, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
डी0 के0 वर्मा,
विशेष सचिव ।

पी0एस0यू0पी0--ए0 पी0 20 सा0 नियुक्ति--6-2-2003-(2277)--2063--2000 प्रतियां (सेट0) ।